

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1114]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 1114]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

का.आ. 1412(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 3157(अ) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया गया है; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

जोन-डी में आने वाले निम्नलिखित भूमि क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दिल्ली मास्टर प्लान-2021/ जोनल विकास प्लान के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
योजना जोन -'डी' में आने वाला प्रस्तावित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) मुख्यालय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स के सामने, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली को जाने वाली सड़क पर।	4191 वर्ग मी. (1.0356 एकड़)	दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार-'रिहायशी' [दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अंतर्गत बनाई गई जोन-डी की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार-'परिवहन (बस टर्मिनल)']	'सरकारी (सरकारी कार्यालय)'	उत्तर: दिल्ली जल बोर्ड प्रगति विहार पंपिंग स्टेशन दक्षिण: एल. एंड डी.ओ. भूमि एवं 13.5 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व: जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मार्ग (45.0 मीटर चौड़ा) पश्चिम: आवासीय स्टाफ क्वार्टर एवं मौजूदा ट्विन बैरल्स

[सं. के-13011/27/2014-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव (डीडी-1)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

S.O. 1412(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* S.O. No. 3157(E) dated 11.12.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion received with regard to the proposed modification by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ZDP	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed National Investigation Agency (NIA) Headquarter Building, opposite CGO Complex, opening on Road to JLN Stadium, New Delhi, falling in Planning Zone-'D'.	4191 sq.m. (1.0356 acres)	As per MPD-2021 - 'Residential' [As per approved Zonal Development Plan of Zone-D prepared under MPD-2001-'Transportation (Bus Terminal)']	'Government (Govt. Office)'	North: DJB Pragati Vihar Pumping Station South: L&DO Land & 13.5m wide Road East: JLN Stadium Marg (45.0 wide m) West: Residential Staff Quarters & Existing Twin Barrels

[No. K-13011/27/2014-DD-1]

SUNIL KUMAR, Under Secy. (DD-1)